सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 255/13 **निर्णय दिनांकः– 19.07.2019**

1. हनुमानमल पुत्र श्री चेतनमल महाजन जाति महाजन बरड़िया निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर (फौत)

1/1. बच्छराज पुत्र श्री स्व. श्री हनुमानमल जाति महाजन बरड़िया निवासी पांचू तहसील नोखा हाल गणेश बर्तन भण्डार सदर बाजार, नोखा।

1/2. मोतीराम पुत्र स्व. श्री हनुमानमल जाति महाजन बरड़िया निवासी पांचू तहसील नोखा हाल गणेश बर्तन भण्डार सदर बाजार, नोखा।

1/3. गोतमचन्द पुत्र स्व. श्री हनुमानमल जाति महाजन बरड़िया निवासी पांचू तहसील नोखा हाल गणेश बर्तन भण्डार सदर बाजार, नोखा।

1/4. प्रेमीदेवी पत्नी हुलासमल पुत्री स्व. श्री हनुमानमल जाति लूणावत निवासी लखारा चौक तहसील नोखा जिला बीकानेर।

1/5. सरोज पत्नी हंसराज पुत्री स्व. हनुमानमल जाति डागा निवासी इन्द्राचौक गंगाशहर, बीकानेर।

1/6. बसन्तीदेवी पत्नी निर्मलचन्द सुराणा पुत्री स्व. श्री हनुमानमल जाति सुराणा निवासी लखारा चौक नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

1/7. कंचन पत्नी निर्मल कुमार सेठिया पुत्र स्व. श्री हनुमानमल जाति सेठिया निवासी गंगागौहल्ला के पास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

1/8. विजया पत्नी निर्मल कुमार सेठिया पुत्र स्व. श्री हनुमानमल जाति सेठिया निवासी सेठिया मौहल्ला, भीनासर बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 08–05–2017
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री आनन्द बजाज, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08—05—2013 जिसके द्वारा अपीलांट् का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स के पिता की पुश्तैनी भूमि वाके रोही पांचू दक्षिण तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 2132 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 2357 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2358 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 2382 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 2364 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2366 रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 2367 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2368 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 3200 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा किता 9 कुल रकबा 119 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि अपीलांट्स के पिता को बंटवारा व जरिये नामान्तरणकरण संख्या 419 दिनांक 30—09—1964 के अनुसार प्राप्त हुई थी। जिसके आगे जमाबनी संवत् 2021—2024 के मुताबिक नक्शे में नया खसरा नम्बर 2132/994 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 2357/955 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2358/985 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 2362/991 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 2364/993 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2366/993 रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 2367/94 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2368/994 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 99 बीघा 19 बिस्वा दर्ज की गई जबकि खसरा नम्बर 3200 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि का अंकन उक्त जमाबन्दी में होने से रह जाने से उक्त भूमि बिना किसी औचित्य के नियम व विधि विरूद्व तरीके से राजस्व रिकार्ड में कम कर दी गई। जबकि मौके पर आज भी अपीलांट्स सम्पूर्ण अर्थात 119 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर काबिज काश्त है।

अपीलांट्स के पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त दुरूस्ती को सही करने व सम्पूर्ण भूमि के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने की इस्तदुआ किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन का किये बिना मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट्स के पिता का दावा खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि यह तथ्य सर्वविदित है कि अपीलांट्स के पिता को उक्त भूमि जरिये नामान्तरणकरण संख्या 419 दिनांक 30—09—1964 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इस तथ्य की ताकिद रेस्पोडेन्ट स्टेट द्वारा अपने जवाब में भी की गई थी कि उक्त खसरा बाबत् महज रिकार्ड में अंकन से रह गया है जिसे दुरूस्त किया जाना स्वीकार है। उपरोक्त स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद होते हुए भी आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट्स के पिता का वादपत्र खारिज करना कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत है।

उन्होंने आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत पांचू में स्थित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प सुरपुरा में उक्त वाद का निस्तारण बिना पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सुनवाई के एकतरफा तौर पर किया गया है। जबकि यह सर्वविदित है कि राजस्व कैम्प में केवल मात्र उन्हीं राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जहॉ पक्षकारों की आपसी सहमति हो। प्रश्नगत् मामलें में अपीलांट को कैम्प में पत्रावली रखने का कोई नोटिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। केवल मात्र राजस्व कैम्प के आकड़ों को बढ़ाने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट्स के जायज कानूनी अधिकारों का हनन किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार प्रकरण के निस्तारण करते हुए यह अंकित किया गया है कि उक्त वाद पर तनकीयात् कायम की गई, परन्तु निर्णय में किसी तनकी का कोई उल्लेख अथवा विवेचन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के हक व हकूक जोकि साक्ष्य के मोहताज थे, को प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील वादपत्र के निर्धारित कानून के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की

जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वादीगण/अपीलांट के पिता के नाम कभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं रही है ना ही वादगत् भूमि पर अपीलांट अथवा उनके पिता का कभी कब्जा काश्त रहा है। यदि भू–प्रबन्ध कार्यवाही के समय यदि कोई भूल रह गई अथवा भूमि दर्ज नहीं की गई थी तो तत्समय ही गैर खातेदारी, खातेदारी अथवा रिकार्ड शुद्दि के बाबत् सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अपीलांट्स के पिता के नाम तत्समय कब्जे काश्त व धारण में निहित भूमि अर्थात राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि दर्ज कर दी गई थी व वादगत् भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने के कारण अपीलांट्स/वादीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों व रिकार्ड के बाहर जाकर वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट्स/वादीगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड दुरूस्ती व धोषणा कराने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त के आधार पर नियमानुसार वाद में तनीकयात् कायम करते हुए वाद खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्स के पिता/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 व 88 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि ग्राम पांचू के खसरा नम्बर 3200 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि का अंकन उक्त जमाबन्दी में होने से रह जाने से उक्त भूमि बिना किसी औचित्य के नियम व विधि

विरूद्व तरीके से राजस्व रिकार्ड में कम कर दी गई। जबकि मौके पर आज भी अपीलांट्स सम्पूर्ण अर्थात 119 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन/दुरूस्ती व धोषणा का अधिकारी है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद एवं जवाबदावा के आधार पर कुल पॉच तनकीयात कायम की गई, परन्तु न्यायालय ने तनकीवार विश्लेषण किये बिना ही प्रमाणित प्रतियों के अभाव बताकर वाद खारिज कर दिया।

परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया कि वादी पूर्व खसरा नम्बर 3200 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा वाके रोही पांचू दक्षिण जो जमाबन्दी संवत् 2021—24 में दर्ज होने से रह गई, भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने एवं अपने पक्ष में चिर निषेधाज्ञा दर्ज करवाने का मुस्तहक है?

उक्त तनकी संख्या 1 में वादी का मुख्य अनुतोष यह था कि पूर्व खसरा नम्बर 3200 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा जो जमाबन्दी संवत् 2017—2020 में बंटवारें के पश्चात् वादी के नाम दर्ज किया गया, परन्तु आगामी चौसाला जमाबन्दी में उक्त खसरा खातें में दर्ज नहीं किया गया। परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी ने विभाजन का नामान्तरणकरण, जमाबन्दी संवत् 2021—2024, 2013—2016 तथा मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की थी। वर्ष 2017—20 के दौरान मूल खातेदार चतुर्भज ने अपनी भूमि का बंटवारा किया। जिसके तह वादी हनुमान के खाते में खसरा नम्बर 3200 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा सहित कुल 119 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज हुई। आगामी जमाबन्दी चौसाला वर्ष 2021—2024 में उक्त खसरा नम्बर 3200 को छोड़कर शेष खसरों की 99 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादी के खाते में दर्ज की गई।

मिलान क्षेत्रफल सेटलमेंट के अनुसार मूल खसरा नम्बर 3200 के नये खसरा नम्बर 6917/6329 रकबा 0.65 हेक्टर, 6916/6328 रकबा 0.21 हेक्टर, 4853 रकबा 1.68 हेक्टर, 6918 रकबा 1.49 हेक्टर कुल 4.

03 हेक्टर बने है जो पुराने खसरा नम्बर 3200 के रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा रकबे से मिलान करता है। राजपैरोकार ने राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रूटि को अपने जवाब में स्वीकार किया है।

वादी/अपीलांट्स के पिता ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष न्यायिक दृष्टांतों से साबित किया है कि राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय राजस्व अधिकारियों की गलती का दोष खातेदार पर नहीं डाला जा सकता। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही तथा तनकी का विवेचन किये बिना ही वाद खारिज करने में गंभीर भूल की है।

परीक्षण न्यायालय द्वारा कायम की गई अन्य तनकी संख्या 2 व 3 मूल तनकी संख्या 1 से आनुषंगिक है, जिन पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है तथा प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा सिद्व की जाने वाली तनकी संख्या 4 व 5 के पक्ष में भी राजपैरोकार द्वारा जोर नहीं दिये जाने के उपरान्त न्यायालय ने कोई विवेचन एवं निष्कर्ष नहीं दिया है। चूंकि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दस्तावेजी साक्ष्य व सबूतों को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—05—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित करने का अवसर देते हुए व साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरान्त पुनः विधि सम्मत निर्णय पातिर करें।

8. निर्णय आज दिनांक 19—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर